प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चउवन '

[13/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 2191]

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

वर्ग 02 बैठक का दिनांक 13.03.2018 उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 07.03.2018

विषयः– **अतिक्रमण से संबंधित ब्यौरों का संकलन किया जाना ।** विभाग का नाम **जनजातीय कार्य**

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2191 **डॉ0 रामकिशोर दोगने**

क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद जिले में बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों पर भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत बनाए गए प्रकरणों से संबंधित जिला अभिलेखागार में उपलब्ध मौजावार पंजी, तहसील, टप्पा तहसील की प्रकरण पंजी में दर्ज (मद अ/68) के प्रकरणों की जानकारी जनवरी 2008 से प्रश्नांकित दिनांक तक भी संकलित की जाकर वनाधिकार समिति, ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं करवाई गई ?

(ख) जिला अभिलेखागार में उपलब्ध मौजावार पंजी एवं टप्पा तहसील, तहसील कार्यालय में उपलब्ध प्रकरण पंजी में धारा 248 के अनुसार पंजीबद्ध प्रकरणों से संबंधित मद अ/68 के प्रकरणों को किस-किस प्रारूप में दर्ज किया गया है ? उनकी जानकारी संकलित कर उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में जिला वनाधिकार समिति बैतूल, हरदा एवं होशंगाबाद ने किस-किस दिनांक को क्या निर्णय लिया ? विभाग ने किस दिनांक को आदेश जारी किया ? निर्णय एवं आदेश की प्रति सहित बतावें।

(ग) बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मद की जमीनों पर धारा 248 के तहत वर्ष 1959 से 2005 तक बनाए गए प्रकरणों की जानकारी संकलित कर प्रश्नांकित दिनांक तक भी संबंधित वनाधिकार समिति, ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं करवाए जाने का क्या कारण रहा है।

(घ) कब तक मौजावार पंजी एवं प्रकरण पंजी से जानकारी संकलित कर उपलब्ध करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(क) जी हां ।

(ख) जिला बैतूल – तहसील कार्यालयों में उपलब्ध पंजी में धारा 248 के अनुसार पंजीबद्ध प्रकरणों से संबंधित मद अ/68 के प्रकरणों को प्रारूप में दर्ज किया गया । प्रारूप परिशिष्ट – अ पर संलग्न है । जिला होशंगाबाद एवं हरदा में कार्यवाही प्रचलित है ।
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र कमांक एफ 2 –4/ 2014/सात –6 दिनांक 5.8. 2014 की प्रति परिशिष्ट – ब संलग्न है ।

(ग) वन अधिकार समिति, ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा जानकारी चाहे जाने पर उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

(घ) उत्तरांश ''ग'' अनुसार ।

7/3/2018

संचालक
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाये
मध्यप्रदेश

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 2191 श्री डॉ. रामकिशोर दोगने माननीय विधायक

परिशिष्ट - अ

018

राजस्व मामले की पंजी (अ-68)

क्र.	मिसल नं.	मामला प्रारम्भ होने की तारीख	न्यायालय में मामला प्रारम्भ होने की तारीख	ग्राम तहसील बन्दोबस्त क्रमांक	पक्षों के नाम और निवास स्थान	जाँच-पड़ताल और प्रतिवेदन के लिये भेजा गया मामला			(1) मामले के निबटारे के अन्तिम आदेश की और (2) मामले के नस्तीबद्व किये जाने के आदेश की तारीख	अंतिम आदेश के स्वरूप को दर्शाते हुये संक्षिप्त टीप और वह रीति जिससे आदेश निष्पादित किया गया	आदेश सूचित करने के लिये भेजा गया अथवा प्राप्त हुआ निबटाया गया मूल मामला तथा परवाना				अभिलेख जहाँ अंतिम रूप से जमा किया गया हो		
						किसको भेजा गया	भेजने की तारीख	वापसी की तारीख			किसको भेजा गया अथवा किससे प्राप्त हुआ				अभिलेखापाल द्वारा प्राप्ति की तारीख भेजे जाने की तारीख	अभिलेखापाल के संक्षिप्त हस्ताक्षर अथवा उस कार्यालय का नाम जिसको अभिलेख भेजा गया हो	कैफियत
											मूल मामला	परवाना	भेजने अथवा प्राप्ति की तारीख	वापसी की तारीख			

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विधान अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2191
डा. रामकिशोर दोगने माननीय विधायक

परिशिष्ट ब

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

क्रमांक एफ 2–4/2014/सात–6

भोपाल, दिनांक 5/8/14

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषयः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व भूमि के वन क्षेत्रों में भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों के मान्यता की कार्यवाही करने बावत।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ) में ''वन भूमि'' की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:–

''वन भूमि'' से किसी वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अवर्गीकृत वन, अरीमांकित विद्यमान वन या समझे गये वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है।''

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राजस्व भूमि के वनों में भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दिया जाना है। इस संबंध में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 6 फरवरी 2014 में लिये गये निर्णय अनुसार राजस्व भूमि के वन में भी वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही उपरोक्त के संदर्भ में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाना है।

अतः जिलों में राजस्व भूमि के वनों में निवासरत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वर्ग के व्यक्तियों के वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही तत्परता से की जाए तथा राजस्व वन में निवासरत सभी पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधान अनुसार वन अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

22 AUG 2014

APO (वन)
23-8-14
ASO (वन)
23/8/14

5/8/14
(सुरेश कुमार रजक)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं
सतपुड़ा भवन, भोपाल

आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं * सतपुड़ा भवन, भोपाल
1340
2387

...2/